न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 11/23 (विविध प्रा. पत्र)

GCMS No. : 2023/37

अनवान

1. श्री उकार पुत्र गांगा जाति मीणा निवासी भगगढ भीकावनीया तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
2. श्री केरा पुत्र गांगा जाति मीणा निवासी भगगढ भीकावनीया तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
3. श्री कालु पुत्र गांगा जाति मीणा निवासी भगगढ भीकावनीया तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
4. श्री गौतम पुत्र गांगा जाति मीणा निवासी भगगढ भीकावनीया तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
5. श्रीमती देवली पत्नी कना जाति मीणा निवासी भगगढ भीकावनीया तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
6. श्रीमती रामी पुत्री कना जाति मीणा निवासी भगगढ भीकावनीया तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
7. श्री वजेराम उर्फ वजिया पुत्र गांगा जाति मीणा निवासी भगगढ भीकावनीया तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
8. श्री दला उर्फ दलेराम पुत्र कना जाति मीणा निवासी भगगढ भीकावनीया तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
9. श्रीमती खेरार पुत्री गांगा जाति मीणा निवासी भगगढ भीकावनीया तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।

..........विपक्षी

उपस्थित– श्री मदन मेघवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम

दिनांक : 03.02.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा भीकावनीया पटवार हल्का पाणुन्द तहसील कानोड जिला उदयपुर राज [illegible] की जमाबंदी सम्वत 2078–2081 जमाबंदी की खाता संख्या नया [illegible] (अ) की आराजी संख्या 219, 233, 347, 348, 350, [illegible] भूमि, खाता संख्या नया 51 की परिशिष्ट (ब) की आराजी [illegible] 000 है. भूमि खाता संख्या नया 52 की प[illegible] 286, 287, 291, 292, 2[illegible] 294, 295, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 337, 338, 339, 340, 343 किता 37 रकबा 8.8300 है. भूमि में प्रार्थीगण सह खातेदार है। उक्त आराजीयात पूर्व में प्रार्थीगण के पिता गांगा पिता भेरा जाति मीणा के नाम पर दर्ज थी। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:39:29 IST
Reason: SelfAttested

गांगा पिता भेरा जाति मीणा के वारिसान के नाम दर्ज हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण की जाति मीणा के स्थान पर रावत अंकित कर दी गई है जो कि गलत है जिसकी शुद्धि आवश्यक है।

2. यह कि प्रार्थीगण के नाम पर मौजा टेकण पटवार हल्का टेकण तहसील लसाडिया जिला उदयपुर राज. के राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी सम्वत 2075–2078 जमाबंदी की खाता संख्या नया 208 तथा खाता संख्या पुराना 207 में आराजीयात भूमि लगभग कुल 0.4968 है. भूमि स्थित है। उक्त जमाबंदी में भी प्रार्थीगण के नाम के साथ जाति मीणा होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण की जाति मीणा है परन्तु प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण कि गलत जाति रावत अंकित कर दी गई है। उक्त प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण के हिस्से कि आराजीयात में प्रार्थीगण की जाति रावत के स्थान पर जाति मीणा का शुद्धिकरण किया जाकर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण की जाति मीणा दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मिकावनीया पटवार हल्का पाणुन्द तहसील कानोड की जमाबंदी सम्वत 2078 से 2081 की खाता संख्या 51 किता 3 रकबा 0.1000 है, खाता संख्या 52 किता 37 रकबा 8.8300 है व खाता संख्या 06 किता 06 रकबा 2.0100 है. उक्त तीनों ही खातों में प्रार्थीगण सह खातेदार की हैसियत से खातेदार व समस्त जाति रावत दर्ज रेकर्ड हैं। प्रार्थी द्वारा पेश राजस्थान सम्वत् 2016 से 2019 में प्रार्थीगण के परिवार की जाति रावत दर्ज रेकर्ड है। भू-प्रबन्धन विभाग की सम्वत् 2012 की जमाबंदी खाता संख्या 75 व 76 प्रमाणित प्रतिलिपि में भी प्रार्थीगण की जाति रावत दर्ज है।

4. यह कि प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस परिवार के मूल पुरुष गांगा पिता भेरा जाति मीणा होकर राजस्व ग्राम टेकण तहसील लसाडिया के मूल निवासी थे परन्तु ग्राम टेकण तहसील लसाडिया व ग्राम मिकावनीया तहसील कानोड के मध्य दूरी कम होने से गांगा पिता भेरा अपने परिवार के साथ पलायनकर ग्राम मिकावनीया तहसील कानोड में निवास करने लगे। गांगा पिता भेरा के वारिसान के नाम राजस्व ग्राम टेकण तहसील लसाडिया में कृषि भूमि है जिसमें इनकी जाति मीणा दर्ज है परन्तु ग्राम मिकावनीया तहसील कानोड इनकी जाति रावत है जिसे ग्राम मिकावनीया में जाति रावत के बजाय जाति मीणा किया जाना बताया।

5. पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम टेकण तहसील लसाडिया की जमाबंदी सम्वत 2075-78 की खाता संख्या 208 किता 06 रकबा 0.4968 है. भूमि में प्रार्थीगण की जाति मीणा दर्ज रेकर्ड है साथ ही बताया की अन्य आवश्यक दस्तावेज यथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान राजकिय मा. विद्यालय पाणुन्द द्वारा जारी प्रवेश पत्र में छात्र गौतमलाल मीणा पिता गांगा मीणा दर्ज है व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की बैंक डायरी में भी जाति मीणा दर्ज है। प्रधानाध्यापक पाणुन्द द्वारा दिनांक 26.08.1994 को जारी चरित्र प्रमाण पत्र में जाति मीणा दर्ज है व परिवार राशन कार्ड संख्या 1983 में भी जाति मीणा दर्ज है। प्रार्थीगण के पुत्र वरदीचन्द पिता कजेराम के विद्यालय संबंधित [illegible] व अन्य जरूरी दस्तावेजों में सभी की जाति मीणा दर्ज है। पटवारी [illegible] प्रार्थीगण के सभी आवश्यक दस्तावेज में इनके नाम [illegible] मीकावनिया तहसील कानोड की [illegible] 81 की [illegible] संख्या 51 किता 03, खाता संख्या 52 किता 37 व [illegible] खातेदारी हिस्से में नाम के सम्मुख जाति रावत दर्ज है जो सही नहीं है वास्तव [illegible] में इनकी जाति मीणा है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट में बताया कि गांगा पिता भेरा के सभी वारिसान को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:39:29 IST
Reason: SelfAttested

समाज परिवार रिश्तेदार गांव मोहल्ले में इन्हें जाति मीणा से जाना पहचाना व पुकारा जाता है व बताया कि उपस्थित मौतबिरान द्वारा ग्राम मिकावनीया के राजस्व रेकर्ड में भी इनकी जाति रावत के बजाय जाति मीणा की जाने हेतु कहा गया। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया की प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व आवश्यक दस्तावेज में इनकी जाति मीणा दर्ज है।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा मीकावनीया पटवार हल्का पाणुन्द तहसील कानोड की जमाबंदी संवत 2078–81 की खाता संख्या नया 6, 51 व 52 में प्रार्थीगण की जाति रावत अंकित है जबकि प्रार्थीगण की सही जाति मीणा है जो मौजा टेकण पटवार हल्का टेकण तहसील लसाडिया में अंकित है। प्रार्थीगण के मूल पुरुष गांगा पिता भेरा की जाति मीणा ही थी जो त्रुटिवश मौजा मीकावनीया में रावत अंकित हो गई जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनागत आराजीयात में अपनी जाति रावत के बजाय मीणा अंकित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि इस परिवार के मूल पुरुष गांगा पिता भेरा जाति मीणा होकर राजस्व ग्राम टेकण तहसील लसाडिया के मूल निवासी थे परन्तु ग्राम टेकण तहसील लसाडिया व ग्राम मिकावनीया तहसील कानोड के मध्य दूरी कम होने से गांगा पिता भेरा अपने परिवार के साथ पलायनकर ग्राम मिकावनीया तहसील कान्होड में निवास करने लगे। गांगा पिता भेरा के वारिसान के नाम राजस्व ग्राम टेकण तहसील लसाडिया में कृषि भूमि है जिसमें इनकी जाति मीणा दर्ज है परन्तु ग्राम मिकावनीया तहसील कानोड में इनकी जाति रावत है जिसे ग्राम मिकावनीया में जाति रावत के बजाय जाति मीणा किया जाना बताया। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा बताया कि ग्राम टेकण तहसील लसाडिया की जमाबंदी सम्वत् 2075–78 की खाता संख्या 208 किता 06 रकबा 0.4968 है. भूमि में प्रार्थीगण की जाति मीणा दर्ज रेकर्ड है जो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम टेकण पटवार हल्का टेकण तहसील लसाडिया की खाता संख्या नया 208 की जमाबंदी से स्पष्ट है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 से 5 व 7, 8 की जाति मीणा दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी की जाति मीणा है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया कि अन्य आवश्यक दस्तावेज यथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान राजकिय मा. विद्यालय पाणुन्द द्वारा जारी प्रवेश पत्र में छात्र मोतमलाल मीणा पिता गांगा मीणा दर्ज है जो प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की बैंक डायरी में भी जाति मीणा दर्ज है। प्रधानाध्यापक पाणुन्द द्वारा दिनांक 26.08.1994 को जारी चरित्र प्रमाण पत्र में जाति मीणा दर्ज है व परिवार राशन कार्ड संख्या 1983 में भी जाति मीणा दर्ज है। प्रार्थीगण के पुत्र वरदीचन्द पिता कालेराम के विद्यालय संबंधित दस्तावेज व पेंड आधार कार्ड व अन्य जरूरी दस्तावेजों में सभी की जाति मीणा दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट में स्पष्ट किया की प्रार्थीगण के सभी आवश्यक दस्तावेज में इनके नाम सम्मुख दर्ज जाति मीणा है परन्तु राजस्व ग्राम मीकावनिया तहसील कानोड की सम्वत 2078 से 81 की खाता संख्या 51 किता 03, खाता संख्या 52 किता 37 व [illegible] हिस्से में नाम के सम्मुख जाति रावत दर्ज है जो सही नहीं है [illegible] इनकी जाति मीणा है।

7 अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना [illegible] के समर्थन में [illegible] तहसील लसाडिया की सेटलमेंट जमाबंदी पेश की [illegible] गांगा पिता भेरा की जाति मीणा दर्ज है साथ ही ग्राम टेकण पटवार हल्का [illegible] तहसील लसाडिया की जमाबंदी संवत् 2075–78 की खाता संख्या नया 208 की जमाबंदी प्रस्तुत की जिसमें प्रार्थी संख्या 1 से 5, 7, 8 की जाति मीणा दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:39:29 IST
Reason: SelfAttested

समर्थन में प्रार्थी संख्या 4 गौतमलाल मीणा की अंक तालिका की प्रति, प्रवेश प्रति की प्रति, स्कॉलर रजिस्टर फार्म की प्रति पेश की जिसमें प्रार्थी संख्या 4 की जाति मीणा अंकित है साथ ही इनके पिता की जाति भी मीणा(गांगा मीणा) अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिवार राशन कार्ड की प्रति भी पेश की जिसमें मूल पुरुष गांगा जी की जाति मीणा अंकित है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी वजेराम उर्फ वजिया के आधार कार्ड की प्रति व अपने पुत्र के विद्यालय संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जिसमें भी प्रार्थी की जाति मीणा अंकित है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कार्यालय ग्राम पंचायत टेकण का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित किया की प्रार्थीगण ग्राम पंचायत फागुन्द के होकर ग्राम टेकण में प्रार्थीगण के पुर्वज जन्म से ही निवास करते थे तथा इनको समाज परिवार में जाति मीणा के नाम से जाना पहचाना जाता है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी केरा पुत्र गांगा मीणा, ऊंकार पुत्र गांगा मीणा, गौतमलाल पुत्र गांगा मीणा, देवली पत्नि कना मीणा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

6. अतः उपरोक्त विवेचन एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीकावनीया पटवार हल्का फागुन्द तहसील कानोड़ जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी सम्वत 2078-81 की खाता संख्या नया 6, 51 व 52 मे (प्रार्थी संख्या 1 से 9) खातेदार ऊंकार पुत्र गांगा, केरा पुत्र गांगा, कालु पुत्र गांगा, गौतम पुत्र गांगा, देवली पत्नी कना, रामी पुत्री कना, वजेराम उर्फ वजिया पुत्र गांगा, नाना उर्फ वजेराम पुत्र कना, सोसर पुत्री गांगा की जाति रावत के बजाय जाति मीणा अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष बदस्तुर रहे। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:39:29 IST
Reason: SelfAttested